Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में पुलिस थाना विराटनगर का हैड कानिस्टेबल (रीडर थानाधिकारी) 15 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *01 अक्टूबर, शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये नरेश कुमार शर्मा हैड कानिस्टेबल (रीडर थानाधिकारी) को परिवादी से **15 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी पत्नी द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें में केस का मजबूत करने की एवज में कैलाश चंद मीणा थानाधिकारी पुलिस थाना विराटनगर, जयपुर ग्रामीण द्वारा **20 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर ग्रामीण के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आहद खान** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय शर्मा निवासी ग्राम बिहारीसर, पुलिस थाना थानागाजी, जिला अलवर हाल हैड कानिस्टेबल (रीडर थानाधिकारी) को आरोपी कैलाश चंद मीणा थानाधिकारी पुलिस थाना विराटनगर, जयपुर ग्रामीण के लिये परिवादी से **15 हजार रुपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कैलाश चंद मीणा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना विराटनगर, जयपुर ग्रामीण एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।